

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2010—आश्विन 12, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 3ए-19-2009-1-पांच(78).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उप नियम (4-ख) के खण्ड (ख) और नियम 23-क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबन्ध करती है कि 1 जुलाई, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी यथास्थिति, प्ररूप 5 या प्ररूप 10 में इलैक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी.

2. इलैक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, यथास्थिति, प्ररूप 5-ख या प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 8 या 21 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

क्र. एफ. 3ए-19-2009-1-पांच(79).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबन्ध करती है कि 1 जुलाई, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी प्ररूप सात में इलैक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी.

2. इलैक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप सात-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

क्र. एफ. 3ए-19-2009-1-पांच(80).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 8 के उपनियम (1-ख) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबन्ध करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्ररूप-ग में घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन, प्ररूप चार-क में उन संव्यवहारों के, जिनके लिए घोषणा पत्र चाहे गए हैं, विवरण सहित, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा।

क्र. एफ. 3ए-19-2009-1-पांच(81).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995 के नियम 12-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबन्ध करती है कि 1 जुलाई, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में कोई नियोजक या कोई व्यक्ति, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रीति में यथास्थिति, प्ररूप 7 या प्ररूप 9 में विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, नियोजक या कोई व्यक्ति, यथास्थिति, प्ररूप 7 या प्ररूप 9 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 11 या 12 के उपबंध, यथास्थिति यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

क्र. एफ. 3ए-19-2009-1-पांच(82).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 (नियमों के नियम 7-क के उपनियम (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट नियम 2006 के नियम 23-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबन्ध करती है कि 1 जुलाई, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी यथास्थिति, प्ररूप पांच में इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. इलेक्ट्रॉनिक रीति में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 5-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. नियमों के नियम 7-क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 3ए-19-2009-2-पांच(78).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 3ए-19-2009-2-पांच(78, 79, 80, 81, 82), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

No. F-3A-19-09-1-V-(78).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (4-B) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st July, 2010, may be furnished by a registered dealer electronically in Form 5 or Form 10 as the case may be, without digital signature, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form 5-B or Form 10-A, as the case may be.

3. The provisions of rule 8 or 21 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

No. F-3A-19-09-1-V-(79).—In exercise of the powers conferred by rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st July, 2010, may be furnished by a registered dealer electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form VII-E.

3. The provisions of rule 8 of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

No. F-3A-19-09-1-V-(80).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1-B) of rule 8 of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, the State Government, hereby, provides that an application for obtaining declarations in Form C may be furnished by a registered dealer electronically in Form IV-A alongwith the details of transactions for which declarations are required, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

No. F-3A-19-09-1-V-(81).—In exercise of the powers conferred by rule 12-A of the Madhya Pradesh Vritti Kar Niyam, 1995, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st July, 2010, may be furnished by an employer or a person electronically in Form 7 or Form 9, as the case may be, without digital signature, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, an employer or a person shall submit the return in Form 7 or Form 9, as the case may be.

3. The provisions of rule 11 or 12 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

No. F-3A-19-09-1-V-(82).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 (the Rules) read with rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods starting on or after 1st July, 2010, may be furnished by a registered dealer electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form V-B.

3. The provisions of rule 7-A of the rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.